सार्वजनिक सूचना

क्रमांक-374 /ओ.के.एस.डी.एन दिनांक- 20-02-2026

सर्वसाधारण को आज दिनांक 20-02-2026 को सूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या YSS-F(5)-3/2019 दिनांक 13 जनवरी 2026 के माध्यम से ग्राम डोली घराना, मौजा कोहला, तहसील नादौन में 7561.06 वर्ग मीटर निजी भूमि के अधिग्रहण की घोषणा की जा चुकी है। अतः इस सूचना के माध्यम से सभी संबंधित निम्न वर्णित भु - स्वामियों और इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि:

क्र. सं.	नाम व्यक्ति मय पता	खसरा नम्बरान	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
1.	श्री सुभाष चंद पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू राम	437/1	109-51
2.	श्री संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू राम	437/1	109-51
3.	श्रीमती ब्रह्मी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बाबू राम	437/1	13-80
4.	श्री लाल चंद पुत्र श्री चूहड़ू	437/1	525-64
5.	श्री रमेश कुमार पुत्र श्री चूहड़ू	437/1	525-64
6.	श्री कृष्ण चंद पुत्र श्री बाबू राम	429, 561/430/1	440
7.	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री जगदीश लाल	312/1,359/430/2	1630-85
8.	श्री तुषार अवस्थी पुत्र श्री सुनील कुमार समस्त निवासीगण महाल डोली घराना, मौजा कोहला तहसील नादौन	312/1,359/430/2	543-62

उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार (भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन) अधिनियम, 2013' के प्रावधानों के तहत, जिला युवा सेवा विभाग द्वारा ग्राम डोली घराना में बहुउद्देश्यीय खेल परिसर के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

और चूंकि, अवार्ड संख्या 1 दिनांक 19/02/2026 की घोषणा कर दी गई है, जिसमें संबंधित भूस्वामियों/हितधारकों को उनकी पात्रता के अनुसार देय मुआवजे की राशि निर्धारित की गई है;

अतः, आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मुआवजे की राशि के भुगतान हेतु निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज इस कार्यालय में प्रस्तुत करें: बैंक खाता संख्या, बैंक एवं शाखा का नाम, IFSC कोड, बैंक पासबुक की प्रति (स्व-सत्यापित),आधार कार्ड की प्रति पैन कार्ड। उपरोक्त विवरण इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 5 दिनों के भीतर कार्यालय समय के दौरान प्रस्तुत किए जाने चाहिए। कृपया ध्यान दें कि निर्धारित समय के भीतर बैंक विवरण प्रस्तुत करने या मुआवजा प्राप्त करने में विफल रहने की स्थिति में, 'भू-अर्जन अधिनियम, 2013' की धारा 77 के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत बिना किसी अन्य सूचना के मुआवजे की राशि सक्षम न्यायालय में जमा करवा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि पांच दिनों के बाद भूमि को विभाग के नाम करने व विभाग को दखल (Possession) की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी जायेगी।

इसे अंतिम अवसर समझा जाए।

कलेक्टर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0)
नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

प्रतिलिपि- 375/OK/SDN दिनांक- 20-02-2026

तहसीलदार, तहसील नादौन वराये सूचनार्थ एवंम इस आशय के साथ लिख कर भेजा जाता है कि उपरोक्त नोटिस की सूचना सम्बन्धित भू-स्वामियों तक नियमानुसार व्यक्तिगत तौर व वरुये चस्पानगी करवाकर कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करवायें।

कलेक्टर एवं उपमण्डल अधिकारी (ना0)
नादौन, जिला हमीरपुर (हि.प्र.